तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री राघवेन्द्रसिंह व श्री प्रशांत सोनी, अभिभाषक प्रार्थी श्री अनिल शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1 व 8 **आदेश** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–12–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थी वादी ने एक वाद बाबत् उद्घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 न्यायालय सहायक कलेक्टर जायल के समक्ष प्रस्तुत किया। सहायक कलेक्टर जायल ने अपने एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया। सहायक कलेक्टर जायल द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने अपील मियाद बाहर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने आदेश दिनांक 18–12–2018 द्वारा स्वीकार करते हुये सहायक कलेक्टर जायल का अंतरिम आदेश निरस्त कर प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि परीक्षण न्यायालय नें अंतरिम आदेश द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं पत्रावली का अवलोकन किये आक्षेपित आदेश पारित किया है जो एक गंभीर त्रुटि की श्रेणी में आता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने तर्क दिया कि अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रावधानों का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	प्रयोजन ही वादग्रस्त भूमि को दावे के निर्णय तक सुरक्षित रखना होता है, अगर वादग्रस्त भूमि को ही सुरक्षित नहीं रखा गया तो वाद में निर्णय क्या होगा। परीक्षण न्यायालय का अंतरिम आदेश गैर कानूनी रूप से निरस्त किया गया है। परीक्षण न्यायालय का आदेश अंतरिम आदेश था जिसकी अपील, अपीलीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं थी, किंतु अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय का अंतरिम आदेश निरस्त करने में अपने क्षेत्राधिकार का स्पष्ट दुरूपयोग किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये अभिकथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा मूल स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण लम्बे समय से नही किया जा रहा था। अपीलीय न्यायालय ने दोनो पक्षों को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनवाई का अवसर देकर एके माह में विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। मैंने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ संलग्न दोनो अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेशों का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया । हस्तगत् निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 18–12–2018 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी ने सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी जायल के द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 10–2–2017 को खारिज किया है। उपखंड अधिकारी जायल द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 10–2–2017 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक पारित कर प्रतिवादीगण/वर्तमान अप्रार्थीगण को तलब करने के नोटिस जारी किये एंव आगामी दिनांक 10–3–2017 निश्चित की गई। प्रार्थीगण को आगामी आदेश तक प्रार्थी के कब्जे में दखल नहीं देने, बिजली पानी का कनेक्शन नहीं लेने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करते हुये आगामी दिनांक 10–3–2017 नियत की गई। दिनांक 10–3–2017 को प्रतिवादीगण/ वर्तमान अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित हुये तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया परंतु इसके उपरांत निरंतर तौर पर प्रकरण में बहस के अभाव में प्रकरण न्यायालय उपखंड अधिकारी मे जैरकार रहा। इसके उपरांत अप्रार्थीगण ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णित कराये बिना ही उपखंड अधिकारी के आदेश दिनांक 10–2–2017 के विरूद्ध अपील संख्या 242/2018 राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष पेश की। राजस्व अपील प्राधिकारी ने एडमीशन स्तर पर ही अपील को दिनांक 18–12–2018 को स्वीकार कर उपखंड अधिकारी जायल का आदेश दिनांक 10–2–2017 को खारिज कर दिया तथा प्रकरण निर्देशों के साथ उपखंड अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। उभय पक्ष की बहस के उपरांत इस निगरानी में महत्वपूर्ण विवाद बिन्दु यह है कि क्या उपखंड अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10–2–2017 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष अपील संधारण योग्य है अथवा नहीं। इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि उपखंड अधिकारी ने प्रकरण संख्या 07/2017 में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10–2–2017 को पारित कर प्रतिवादीगण/वर्तमान अप्रार्थीगण को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया व आगामी नियत दिनांक 10–3–2017 को अप्रार्थीगण उपस्थित हुये व दिनांक 10–2–2017 से दिनांक 30–11–2018 तक प्रकरण उपखंड अधिकारी जायल के समक्ष जैरकार रहा है। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	के विरूद्ध अपील संधारण योग्य नहीं है क्योंकि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र को उपखंड अधिकारी द्वारा अंतिम रूपसे निर्णित नहीं किया है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रीमेच्यौर आदेश दिनांक 10–2–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने में विधिक त्रुटी की है। राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा उपखंड अधिकारी को केवल यह निर्देश दिये जा सकते थे कि उनके समक्ष लम्बित धारा 212 के प्रार्थना पत्र का आगामी 30 दिवस में आवश्यक रूपसे गुणावगुण पर निस्तारण करे। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उपखंड अधिकारी के आदेश दिनांक 10–2–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित कर निर्णय दिनांक 10–2–2017 को निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। फलस्वरूप यह निगरानी एडमीशन के स्तर पर ही स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय दिनांक 18–12–2018 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखंड अधिकारी जायल को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर 2 माह में आवश्यक रूपसे धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करें। उक्त प्रार्थना पत्र सं.7/2017 के अंतिम रूपसे निर्णित होने तक उपखंड अधिकारी जायल का आदेश दिनांक 10–2–2017 प्रभावशील रहेगा। उभय पक्ष दिनांक 10–5–2019 को न्यायालय उपखंड अधिकारी जायल के समक्ष उपस्थित होवें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (आर.के.जायसवाल) सदस्य	